का॰ज्ञ॰सं॰ 13017/6/87-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 16 नवंबर, 1987

विषय: अनुवाद कार्य से संबंधित अनुवादकों/कर्मचारियों के लिए अनुवाद में अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/13017/12/75-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 5 मई, 1975 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा दिए जा रहे अनुवाद प्रशिक्षण को केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद कार्य से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।

2. अनेक सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह विचार था कि चूंकि वे उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए वे प्रशिक्षण के लिए अपने कर्मचारियों के नाम भेजने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ अन्य उपक्रमों/बैंकों आदि ने, यह तर्क दिया कि चूंकि उनके यहां अनुवादकों के पद नहीं है और अनुवाद कार्य या तो हिंदी अधिकारी करते हैं या अन्य कर्मचारी। अत: उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन उन पर लागू नहीं होता।

3. हाल ही में कुछ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में यह कहा गया कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में इस प्रकार से आशोधन कर दिया जाए कि जो भी कर्मचारी, चाहे उनका पदनाम कुछ भी हो, या अधिकारी विभिन्न सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुवाद के कार्य में लगे हुए हैं या उससे जुड़े हुए हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित माना जाए।

4. तदनुसार, उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में आंशिक आशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा दिए जा रहे अनुवाद प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी अनुवाद कार्य में लगे हुए या उससे जुड़े हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जाए, चाहे उनके पदनाम कुछ भी क्यों न हों।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को इस निर्णय से अवगत करा दें ताकि वे अनुवाद कार्य में लगे हुए अथवा उससे जुड़े हुए अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण यथाशीघ्र दिलवाएं। इस प्रयोजन के लिए, ऐसे सभी कार्मिकों की सूची निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पर्यावरण भवन, 8वां तल, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003 को भेज दें, ताकि वे उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक समान बैच बना सकें।